संख्या-39/2015/1019/30-3-15-11जीई/2011

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 08 मई, 2015

विषय - परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलेट अथारिटी के एक-एक पद तथा अपर परिवहन आयुक्त के दो अस्थायी रूप से सृजित किये गये पदों की निरंतरता जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-2917/30-3-11-11जीई/2011, दिनॉक 19-12-2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित पदों को दिनॉक 28-02-2012 तक की अवधि के लिये अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

| क्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या | वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) रू0 में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | विशेष सचिव, परिवहन विभाग | 01 | 18400-22400 (वेतन बैण्ड-4 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 10000/-) |
| 2. | उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अपीलेट अथारिटी | 01 | 18400-22400 (वेतन बैण्ड-4 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 10000/-) |
| 3. | अपर परिवहन आयुक्त | 02 | 16400-20000 (वेतन बैण्ड-4 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8900/-) |

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अस्थायी रूप से सृजित पदों की दिनॉक 01-03-2012 से 28-02-2013 तक, दिनॉक 01-03-2013 से 28-02-2014 तक तथा दिनॉक 01-03-2014 से 28-02-2015 तक की कार्योत्तर निरंतरता की स्वीकृति और दिनॉक 01-03-2015 से 29-02-2016 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें स्थायी अथवा बिना नोटिस के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-39/2015/1019/(1)/30-3-2015, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
3- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-9
4- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0, सचिवालय, लखनऊ।
5- कार्मिक अनुभाग-1
6- कार्मिक नियमावली सेल।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in